कार्यालय जिला शिक्षा एवं प्रषिक्षण संस्थान, खैराबाद–सीतापुर।

विज्ञप्ति

विषिष्ट बी0टी0सी0 प्रषिक्षण 2008 (विषेष चयन) हेतु निर्गत –***शासनादेश संख्या–1186/15–11–2008 दिनांक 14.11.2008*** के प्रति प्रकाषित विज्ञप्ति के कम में प्राप्त आवेदन पत्रों के अधार पर अंकित विवरण के आधार पर जनपद सीतापुर हेतु निर्धारित सीटों के सापेक्ष द्वितीय अनन्तिम चयन सूची निर्गत कर दी गयी है। सम्बन्धित सूची एवं कट आफ मेरिट का विवरण संस्थान/जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय/जिला बेसिक षिक्षा अधिकारी कार्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा है। सूची वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। अभ्यर्थी website- http://sitapur-nic.in पर क्लिक करके अपना नाम देख सकते हैं। सूची से सम्बन्धित अभ्यर्थी रूपया 10/– के नान जूडिषियल स्टैम्प पेपर पर अपने रंगीन फोटो (जो नोटरी से प्रमाणित हो) के साथ निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र (संस्थान के नोटिस बोर्ड एवं वेबसाइट पर उपलब्ध) एवं अपने समस्त मूल शैक्षिक अंक पत्र व प्रमाण पत्र, जाति आरक्षण / विषेष आरक्षण / षिक्षा मित्र सम्बन्धी प्रमाण पत्र, निवास प्रमाणपत्र तथा उनकी दो सेट स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति एवं पासपोर्ट साइज के दो नवीनतम फोटोग्राफ, दो फाइल कवर व टैग के साथ निम्न कार्यक्रमानुसार प्रातः 9.30 बजे संस्थान में उपस्थित हों।

दिनांक	वर्ग/श्रेणी
28–05–09	अन्य पिछड़ा वर्ग समस्त पुरूष अभ्यर्थी
29–05–09	अन्य पिछड़ा वर्ग समस्त महिला अभ्यर्थी
30–05–09	समस्त अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी

कट ऑफ मेरिट का विवरण

श्रेणी	षिक्षा मित्रों से भिन्न				षिक्षा मित्र	
	महिला		पुरूष		महिला	पुरूष
	कला	विज्ञान	कला	विज्ञान		
अन्य पिछड़ा वर्ग	244.84	199.80	249.22	246.86	–	221.42
अनुसूचित जाति	210.80	210.48	222.50	209.43	–	173.20
अनुसूचित जनजाति	–	–	–	–	–	–

विशेष आरक्षण	अन्य पिछड़ा वर्ग				अनुसूचित जाति/जनजाति			
	षिक्षा मित्रों से भिन्न		षिक्षा मित्र		षिक्षा मित्रों से भिन्न		षिक्षा मित्र	
	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष
विकलांग दृष्टिबाधित	222.71	233.99	–	–	–	201.14	–	–
विकलांग श्रवणह्रास	231.32	236.24	–	215.82	–	207.33	–	–
विकलांग चलन किया	230.57	245.36	–	–	194.30	222.01	–	–
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित	209.55	219.00	–	–	–	–	–	–
भूतपूर्व सैनिक (स्वयं)	–	–	–	–	–	–	–	–

- यह अनन्तिम चयन सूची मा0 उच्च न्यायालय /मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अधीन होगी एवं किसी लिपिकीय त्रुटि के संधान के अधीन होगी। साथ ही रिशफलिंग,अभ्यर्थियों के मूल प्रमाणपत्रों के निर्गमन संस्था से सत्यापन एवं प्रशिक्षण योग्यता प्रदान करने वाली संस्था की मान्यता वर्ष की एन0सी0टी0ई0 से सत्यापन के अधीन होगी।
- यदि अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को संस्थान में उपस्थित नहीं होते हैं, तो भविष्य में उनके अभ्यर्थन के प्रति विचार नहीं किया जायेगा और इसके लिये वे स्वयं उत्तरदायी होंगे तथा उनका अभ्यर्थन निरस्त करते हुये वरीयता कम में अगले अर्ह अभ्यर्थी के अभ्यर्थन पर विचार किया जायेगा तथा भविष्य में उनके किसी दावे को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- ऐसे अभ्यर्थी जो उक्त चयन की प्रथम अनन्तिम् सूची में सम्मिलित थे व जिन्हें पंजीकृत पत्र द्वारा सूचित भी किया जा चुका है और तत्समय संस्थान में मूल अभिलेख जमा करने हेतु उपस्थित नहीं हुए थे को यदि वह इच्छुक हों तो उन्हें मूल अभिलेख जमा करने का अन्तिम् अवसर इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान किया जाता है कि इनका चयन सम्बिन्धित श्रेणी में रिक्तियां उपलब्ध होने पर ही किया जाना सम्भव होगा, इस हेतु किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थियों को पूर्व में ही सूचना भेजी जा चुकी है अतः इन्हें अन्य किसी माध्यम से सूचित नहीं किया जायेगा।

प्राचार्य,
जिला षिक्षा एवं प्रषिक्षण संस्थान
खैराबाद–सीतापुर